

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शरीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995
under section 3 of UGC Act, 1956)

क्रमांक: शैक्ष./177/2024/55(H)

दिनांक: 25/08/2024


सूचना

संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, संस्थान के छात्र कल्याण कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता जारी किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विद्यार्थियों को निम्नलिखित मदों में संस्थान द्वारा जारी छात्र कल्याण कोष मार्गदर्शिका अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जावेगा :

1. खेल सांस्कृतिक गतिविधियों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. में उच्च प्रदर्शन।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस / संगोष्ठी।
3. आकस्मिक चिकित्सकीय सहायता।
4. देहांत/दिव्यांगता की परिस्थिति में।
5. आर्थिक रूप से असक्त छात्र/छात्राओं के शिक्षा में सहयोग हेतु।
6. अन्य सदृश्य कारण।

छात्रों के आवेदन पत्र दिनांक 13/09/2024 तक आवश्यक रूप से संस्थान में प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार: कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांक: 28/08/2024)


(डॉ. संजीव यादव)
कुलसचिव प्रभारी

प्रतिलिपि:

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- सहा. कुलसचिव (शैक्ष.)
- प्रभारी आई.सी.टी. - संस्थान वेबसाईड पर अपलोड किये जाने के संबंध में।
- द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की कक्षाओं में परिचालनार्थ।